

EASTERN RAILWAY

No. E. 85 / 0 / Pt XIII


Kolkata, dated 05/ 07/ .2012.

ALL CONCERNED

Sub : Revision in the rates of Kilometrage Allowance and Allowance in lieu of Kilometrage (ALK) with effect from 01.01.2011 .

A copy of Railway Board's letter No E(P&A)II-2005/RS-34 dated 26.06.2012 (RBE No. 77/2012) is forwarded herewith for information, guidance and immediate necessary action. The Railway Board's letter dated 26.12.2008 as referred to therein was circulated vide this office Serial circular No. 175/2008.

DA: As Above



(O. P. Singh)
Sr. Personnel Officer/WS
For Chief Personnel Officer

Copy of Railway Board's letter No. No E(P&A)II-2005/RS-34 dated 26.06.2012 (RBE No. 77/2012) addressed to GMs, All Indian Railways and others.

Sub : Revision in the rates of Kilometrage Allowance and Allowance in lieu of Kilometrage (ALK) with effect from 01.01.2011 .

After the promulgation of the Railway services (Revised Pay) Rules , 2008, Board had issued letter of even No. dated 26.12.2008, deciding the pay element for the Running Staff and the revised rates of Kilometrage Allowance and Allowance in lieu of Kilometrage (ALK).

2. In consideration of the persistent demand by the Two Federations, Board has now decided that the rates of Kilometrage Allowance (per 100 Kms) and the rates of ALK (per 160 Kms) which were laid down vide Board's letter of even No dated 26.12.2008 may be increased by 25% with effect from 01.01.2011 . The other terms and conditions for admissibility of Kilometrage Allowance /Allowance in lieu of Kilometrage shall remain unchanged.

3. This issues with the concurrence of the Finance Directorate of the Ministry of Railways.

Index No.1068: Rates of Kilometrage Allowance (per 100 Kms) and the rates of ALK (per 160 Kms) which were laid down vide this office Serial circular No. 175/2008 may be increased by 25% with effect from 01.01.2011 .

रेल मंत्रालय (रेलवे बाड)

क्र. : पीसी 4/293

आरबीई सं. 77 / 2012

सं. : (पी एंड ए) II-2005/आरएस - 34

नई दिल्ली, दिनांक : 28.06.2012

मा. प्रबंधक/मुख्य प्रशासनिक अधिकारी, पूर्व रेलवे, को लखनऊ
सभी भारतीय रेलें एवं उत्पादन इकाइयां, आदि।

विषय : 01.01.2011 से किलोमीटर दूरी भत्ते और किलोमीटर दूरी के बदले भत्ते
(एएलके) की दरों में संशोधन।

रेल सेवक (संशोधित वेतन) नियम, 2008 की घोषणा के पश्चात् बोर्ड ने दिनांक 26.12.2008 के समसंख्यक पत्र जारी किया था जिसमें रनिंग स्टाफ के लिए वेतन का तत्व और किलोमीटर दूरी भत्ता तथा किलोमीटर दूरी के बदले भत्ते (एएलके) की दरों को संशोधित किए जाने का निर्णय लिया था।

2. दोनों फंडेशनों की निरंतर मांग पर विचार करते हुए, बोर्ड ने अब विनिश्चय किया है कि किलोमीटर दूरी भत्ते (प्रति 100 किमी) की दरों तथा एएलके (प्रति 160 किमी) की दरों, मिनिमम बोर्ड के दिनांक 26.12.2008 के समसंख्यक पत्र में उल्लेख किया था, को 01.01.2011 से 25% बढ़ा दिया जाये। किलोमीटर दूरी भत्ता तथा किलोमीटर दूरी के बदले दिए जाने वाले भत्ते की अन्य शर्तें अविचलित रहेंगी।

3. इसे रेल मंत्रालय के वित्त निदेशालय की सहमति से जारी किया जा रहा है।

मो. सलीम अहमद

(सलीम मो. अहमद)

उप निदेशक / ई (पी एंड ए) II,

रेलवे बोर्ड

सं. : (पी एंड ए) II-2005/आरएस - 34

नई दिल्ली, दिनांक : 28.06.2012

प्र. तिलिपे :

1. वित्त सहायक एवं मुख्य लेखा अधिकारी, सभी भारतीय रेलें तथा उत्पादन इकाइयां आदि को प्रेषित।

2. मुख्य रेल सुरक्षा आयुक्त, 16 अशोक रोड, लखनऊ।

मो. सलीम अहमद

(सलीम मो. अहमद)

उप निदेशक / ई (पी एंड ए) II,

रेलवे बोर्ड

सं. : (पी एंड ए) II-2005/आरएस - 34

नई दिल्ली, दिनांक : 28.06.2012

प्र. तिलिपे :

भारत के उपनियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (रेलें), कमरा नं. 224, रेल भवन, नई दिल्ली - 110001 (यदि अतिरिक्त प्रतियां सहित) को प्रतिलिपि प्रेषित।

मो. सलीम अहमद

कृते वित्त आयुक्त/रेलें